निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुराहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर, जयपुर

प्रकरण संख्या 12/2021 (विविध प्रार्थना पत्र)

जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर उपायुक्त जोन–12 इन्द्रा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

रमेश प्रधान पुत्र स्व॰ श्री गोपीनाथ प्रधान निवासी 38, शिव पथ, सूरज नगर पश्चिम, सिविल लाईन जयपुर ।

अप्रार्थी

परिवाद अन्तर्गत धारा 11 (क) धामिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 पार्क में स्थापित पूजा स्थल हटाने के सम्बन्ध में ।

उपस्थित :–

1. श्री अब्दुल हनीफ खान अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री ओम प्रकाश गुप्ता अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 06.09.2022

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना सुख सागर एनक्लेव कालवाड रोड मांचवा में पार्क की भूमि पर बने हुये मन्दिर हटाने बाबत राजस्थान धार्मिक भवन एव स्थल अधिनियम 1954 की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जा कर नोटिस अप्रार्थी को जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश गुप्ता ने उपस्थित हो कर वकालतनामा, जबाब व कालोनिवासियान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने प्रार्थना अपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि परिवादी अनित के चकवृति द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की अनुमोदित योजना सुख सागर एनक्लेव कालवाड रोड माचवा जयपुर में पार्क की भूमि पर अवैद्य निर्माण हटाने की शिकायत की गई। जिसके संबंध में तत्कालीन प्रवर्तन अधिकारी द्वारा मौका देखा गया मौके पर पार्क की चार दिवारी बनी हुई है। पार्क के अन्दर पानी की टंकी तथा कुछ भाग पर मन्दिर बना हुआ है। जिस जिस पर सुखेश्वर महादेव मन्दिर लिखा हुआ है। जिसमें रामनारायण नाम का पुजारी रहता है। योजना की मौका रिपोर्ट के अनुसार सुख सागर एनक्लेव पार्क की लगभग 2500 वर्गगज भूमि पर चार दीवारी बनी हुई है। पार्क के अन्दर एक पानी की टंकी तथा कुछ भाग को पूजा स्थल कें काम में लिया जा रहा है जिसमे करीब 100 बाई 90 फिट का एक हाल है। जिसमें देवी देवताओं की तस्वीर/स्थापना की हुई जिसमे विधिवत धार्मिक पूजा होती है इस

जिला कलक्टर
जयपुर

प्रकार सुख सागर एनक्लेव पार्क की भूमि पर मन्दिर स्थापित है। वास्तविकता यह है कि परिवादी श्री अनिल के चक्रवृति द्वारा जे डी ए की अनुमोदित योजना सुखसागर एनक्लेव के पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण के संबंध में शिकायत दी थी। जिसके बाद जे डी ए द्वारा अनुमोदित योजना सुख सागर एनक्लेव की पार्क की जमीन पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही नहीं होने संबंधित शिकायती पत्र दिनांक 15.09.2017 को प्राप्त हुआ जो श्री गौरेराज सम्राट व अन्य द्वारा दिया गया। जिस पर जोन उपयुक्त द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब करवाई गई। दिनांक 31.10.2017 की रिपोर्ट में यह दर्शित है कि पार्क की भूमि पर निर्माण किया गया जो देखने में कामर्शियल लग रहा है, जिसे टैम्परेरी पूजा स्थल दिखाया गया है जबकि ऐसा कोई निर्माण नहीं है जो उसे मन्दिर के रूप में दर्शित करता हो। निर्माणकर्ता ने अवैध रूप से जे डी ए द्वारा अनुमोदित योजना में पार्क की भूमि पर निर्माण किया है जिससे संबंधित जे डी ए को निर्माणकर्ता के विरूद्व निमयानुसार कानूनी कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है। नियमानुसार उक्त धार्मिक स्थल को राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 की धारा 11 (ए) के तहत जिला कलक्टर द्वारा ही हटवाया जा सकता है। जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 14.10.2005 को उक्त योजना सुख सागर एनक्लेव का ले आउट प्लान अनुमोदित किया गया है । उक्त प्लान में दक्षिण पूर्व दिशा में पार्क हेतु सुविधा क्षेत्र है। उक्त क्षेत्र में एक हाल, दो कमरे वे एक टायलेट बनाया गया है। उक्त हाल में श्री शिव शंकर, श्री हनुमान जी व श्री रामदरबार की मूर्ति लगी हुई है जिसे टैम्परेरी तौर पर पूजा स्थल दिखाया गया है। जबकि ऐसा कोई निर्माण नही है कि उसे मन्दिर के रूप में दर्शित करता हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एस एल पी संख्या 8519/2006 दिनांक 29.07.2020 एवं यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम स्टेट ऑफ गुजरात में दिनांक 29.09.2009 को पारित किये निर्णय के तहत जे डी ए द्वारा अनुमोदित सुख सागर एनक्लेव पार्क की भूमि पर स्थापित पूजा स्थल को हटाने के आदेश फरमावे।

4. अप्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि सुख सागर एनक्लेव की पार्क की भूमि मे अति प्राचीन मन्दिर स्थापित है जिसमें पुजारी रामनारायण द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। उक्त पार्क की भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवासीय स्कीम में छोड़ी गई थी तथा उक्त पार्क की भूमि व उसमे बने प्रचीन मन्दिर का सार्वजनिक उपयोग उपभोग किया जा रहा है तथा किसी प्रकार का अवैध निर्माण नहीं कराया गया है, ना ही निजी उपभोगार्थ परिसर का उपयोग किया जा रहा है। ना ही किसी का एकाधिपत्य है। आम जनता द्वारा मन्दिर में पूजा अर्चना की जाती है तथा सर्वजनिक रूप से धार्मिक आयोजन आयोजित किये जाते है जिसमें सभी कालोनी वासी व आस पास के लोग शमिल होते है। आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को इस बाबत किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा ना ही इस संबंध में कोई शिकायत आज तक की गई है। परिवादी अमित के चक्रवृति द्वारा अनुचित उद्वेश्य की प्राप्ति हेतु कपोल कल्पित व आधारहीन शिकायत दर्ज करवाई गई है। परिवाद में जिस न्यायिक निर्णय का हवाला दिया गया है वह प्रकरण हाजा पर लागू नहीं होता है क्यों कि पार्क व उसमें बने मन्दिर का उपयोग सार्वजनिक हित में आम जन द्वारा किया जाता है । किसी व्यक्ति विशेष का उस पर अधिपत्य एवं कब्जा नहीं है। दिनांक 14.10.2005 को योजना का ले आउट प्लान अनुमोदित किये जाने के समय भी मन्दिर स्थापित था। प्रकरण में जिस मन्दिर का हवाला दिया गया है वह मन्दिर अर्सा कदीम करीब 150–200 वर्ष पूर्व का बना हुआ है तथा मन्दिर की सेवा

जिला कलक्टर
जयपुर

पूजा गांव के लोग व आस पास के लोग उक्त आवासीय स्कीम को सृजित किये जाने व नक्शे अनुमोदित किये जाने से पूर्व से सार्वजनिक रूप से करते चले आ रहे तथा सामूहिक रूप से राशि व चन्दा एकत्रित कर धार्मिक आयोजन करते रहे है एवं मन्दिर का उपयोग करते रहे है। इस तथ्य को मध्य नजर रखते हुए आम जन की भावना को मध्य नजर रखते हुये उक्त आवासीय स्कीम में मानचित्र में मन्दिर के आस पास की भूमि को सुविधा क्षेत्र के रूप में खाली रखा गया था, ताकि आम जन पूर्व की भांति उक्त स्कीम डवलप होने के बाजवूद मन्दिर में सेवा पूजा कर सके एवं धार्मिक आयोजन कर सके। उक्त आवासीय स्कीम व उसके आस पास की भूमि पर कालोनियॉ सृजित होने व आमजन द्वारा निर्माण करा कर निवास करने के दौरान आज जन के सहयोग से समय समय पर राशि व चंन्दा एकत्रित कर उक्त मन्दिर को समय समय पर डवलप किया गया तथा आम जन की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुये आम जन द्वारा निर्माण कराया गया तथा आम जन द्वारा ही उसका उपयोग उपभोग किया जा रहा है । मन्दिर सार्वजनिक होने, सार्वजनिक सहयोग से मन्दिर का जीणोद्धार कराने एवं मन्दिर प्राचीन होने के समर्थन में सुखसागर आवासीय स्कीम के आस पास के लगभग 75 लोगों क शपथ मत्र प्रस्तुत है। अप्रार्थी का ना तो कोई निजी स्वार्थ है तथा ना ही अप्रार्थी का मन्दिर सम्पत्ति से किसी प्रकार का संबंध है। इस आरोपित धारा के तहत अप्रार्थी के खिलाफ कोई प्रकरण बनना नही पाये जाने के कारण अप्रार्थी के खिलाफ उक्त परिवाद चलने योग्य नहीं है तथा खरिज किये जाने योग्य है।

5. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।
6. राजरथान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954 के प्रावधानों के तहत धार्मिक स्थल के निर्माण कार्य के लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अप्रार्थी ने सुखसागर एनक्लेव स्थित प्रश्नागत मन्दिर को प्राचीन मन्दिर बताया है, अपने कथनों की पुष्टि में मन्दिर के आप पास के एवं पूजा अर्चना करने वाले करीब 75 लोगों के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। उक्त विवाद आम जन की भावनाओं से जुडा हुआ है। अतः अप्रार्थी को इसकी विधिवत सक्षम अधिकारी से स्वीकृति लेने के लिए तीन माह का समय दिया जाता है। यदि तीन माह में सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नहीं ली जाती है, तो प्रार्थी जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर उपायुक्त जोन–12 को उक्त स्थल पर किये गये नव निर्माण को हटाने के आदेश दिये जाते है।
7. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर उपायुक्त जोन–12 को प्रेषित की जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो कर दर्ज नम्बर से कम हो।
8. निर्णय आज दिनांक 06.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर